

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू०अ०नि० (4) गैर योजना (आवंटन)-01/2026.....2941

प्रेषक,

सुहर्ष भगत, भा० प्र० से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,
गुलजारबाग, पटना - 7
उप सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू-अभिलेख एवं परिमाण
बिहार, पटना।

पटना दिनांक :- 28/08/2026

विषय :- विपत्र कोड - 40-2029001030001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आपके कार्यालय व्यवहारार्थ वेतनादि मद एवं वेतनादि मद से भिन्न मद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत निम्न ईकाई कोड के अन्तर्गत निम्न रूप में राशि आवंटित की जाती है :-

क्र०सं०	विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का ब्यौरा	भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	01 01	वेतन	5000000	12500000	17500000
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	3000000	8000000	11000000
3	01 04	मकान किराया भत्ता	500000	2500000	3000000
4	01 05	परिवहन भत्ता	500000	700000	1200000
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	200000	300000	500000
6	01 07	अन्य भत्ता	—	70000	70000
7	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	—	228000	228000
8	11 01	यात्रा व्यय	150000	—	150000

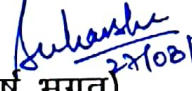
क्र०सं०	विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का ब्यौरा	भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
9	13 01	कार्यालय व्यय	—	1450000	1450000
10	13 03	दुरभाष	—	50000	50000
11	13 04	विद्युत प्रभार	—	240000	240000
12	13 05	विधि प्रभार	100000	—	100000
13	13 10	भाड़े की गाड़ी का भुगतान	—	220000	220000
14	14 01	किराया महसूल एवं कर	—	50000	50000
15	28 02	संविदा सेवाएँ	2000000	1000000	3000000
कुल योग :-			11450000	27308000	38758000

(तीन करोड़ सतासी लाख अन्ठावन हजार रुपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक — 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या —40 एवं विपत्र कोड **40-2029001030001** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
6. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

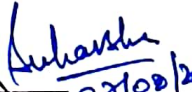
विश्वासभाजन


(सुहर्ष भगत)
निदेशक

ज्ञापांक — 02/भू0अ0नि0 (4) गैर योजना (आवंटन)—01/2026.....²⁹⁴¹ भू-अभिलेख एवं परिमाण पटना दिनांक ^{28/08/26}
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा)
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक ^{28/08/26}

ज्ञापांक — 02/भू0अ0नि0 (4) गैर योजना (आवंटन)—01/2026.....²⁹⁴¹ भू-अभिलेख एवं परिमाण पटना दिनांक ^{28/08/26}
प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक ^{28/08/26}
भू-अभिलेख एवं परिमाण